भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

**Title:**प्रेस विज्ञप्ति

**Reference No.:** **Date:**02/01/2016

तेलंगाना राज्यि में ई- वाहन बीमा (इलेक्ट्रा निक मोटर बीमा पालिसियाँ ) का लॉच किया जाना

1. तेलंगाना सरकार ने, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा इन्शुरन्स ब्यूरो ऑफ़ इण्डिया (आईआईबी) के सहयोग और बीमा उद्योग के सक्रिय समर्थन से 2-01-2016 से प्रभावी तेलंगाना राज्य में ई-मोटर बीमा पालिसियों की स्वीकृति का शुभारंभ किया है । आईटी एवं पंचायत राज्य मंत्री माननीय श्री के. टी. रामाराव ने इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया ।

2. बीमा सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है । तृतीय पक्ष मोटर बीमा की अनिवार्य आवश्यकता के बावजूद, बिना बीमा के अनेक वाहन स़डक पर चलाये जा रहे हैं। वैधानिक प्रावधानों के अननुपालन के अलावा, यह सुरक्षा जाल को कमजोर बनाता है और घायल आदि होने की स्थिति में आम आदमी को उपलब्ध क्षतिपूर्ति सीमाओं को भी प्रभावित करता है।

3. उम्मीद की जाती है कि वाहन मालिकों को उनके द्वार पर बीमा पालिसियां जारी करने में एलेक्ट्रानिक बीमा पालिसियॉ सहायक होंगी । ये पालिसियां देश भर में कहीं भी ऑनलाइन जारी की जा सकती हैं, इस प्रकार यह तीव्र निर्गमन, धोखाध़डी से बचने, उच्चस्तरीय ग्राहक संतोष, राजस्व के रिसाव का विलोपन, विश्लेषण इत्यादि जैसे अनेक लाभों का मार्ग प्रशस्त करती है।

4. डिजिटल पहल के एक अंग के रूप में, सभी मोटर बीमा पालिसियां, विशेष रूप से तेलंगाना राज् य में क् विक रेस् पान् स (क् यूआर) कोड के साथ एलेक्ट्रानिक प्रारूप में जारी की जाएंगी, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को जांच करने में सुविधा रहेगी । बीमा कंपनियां, एलेक्ट्रानिक पालिसियां अपने पोर्टल से जारी कर सकती हैं या बीमा कोषों से टाईअप कर सकती हैं और इलेक्ट्रानिक पालिसी जारी करने का प्रबंध कर सकती हैं । ई- मोटर इन्शुरन्स पालिसी जारी करने के बाद पालिसीधारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा ।

5. पालिसी डिजिटल प्रारूप में जारी की जाएगी जो किसी भी स्मार्ट फोन में देखी जा सकती है । इसके साथ ही क्यूआर (क्विक रेस्पान्स) कोड भी जारी किया जाएगा जिसको, जरूरत प़डने पर पालिसी विवरणों की जाँच के लिए स्कैन किया जा सकता है । एक एसएमएस आधारित जॉच भी उपलब्ध है । उचित समय पर, बीमा / आईआर पालिसीधारकों को मोबाइल एप उपलब्ध कराये जाएँगे । यह एप्लीकेशन तब आसानी से विण्डो़ज, एण्ड्रोइड और एपल फोनों पर डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसमें पालिसी विवरण उपलब्ध रहेंगे ।

6. तेलंगाना पहला राज्य है जिसने एलेक्ट्रानिक मोटर बीमा पालिसियों को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। इस कदम से नागरिकों को सुविधा मिल सकती है और मोटर बीमा के अनुपालन स्तर में भी सुधार होगा । निकट भविष्य में ऑनलाइन कियोस्कों और एटीएम के माध्यम से बीमा जारी करने को सुविधाजनक बनाने पर विचार किया जा सकता है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि, प्रतिवर्ष लाखों टन कागज़ की बचत होगी। इस पहल की सफलता, इस सुविधा को देश के शेष भाग में फैलाने में दूरगामी सिद्ध होगी ।

7. हैदराबाद में आज (02-01-21016) हुए समारोह में, परिवहन विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रवर्तन एजेसियो के लिए विकसित एक एप, परिवहन मंत्री डॉ. पी. महेन्दर रेड्डी द्वारा जारी किया गया । श्री टी.एस. विजयन, अध्यक्ष आईआरडीएआई ने ई-वाहन बीमा पर एक पुस्तिका का विमोचन किया ।

8. डॉ. एम. महेन्दर रेड्डी, पुलिस आयुक्त, हैदराबाद, श्री सुनील शर्मा, मुख्य सचिव, टीआर एवं बी, जयेश रंजन, सचिव, आईटी एवं सी, श्री श्रीराम तरणिकान्ति, कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई, श्री सीवी आनंद, पुलिस आयुक्त, साइबराबाद, श्री संदीप कुमार सुल्तानिया, परिवहन आयुक्त, तेलंगाना, श्री आर. राघवन, सीईओ, इन्शुरन्स इन्फार्मेशन ब्यूरो ऑफ इण्डिया, बीमा कंपनियों, बीमा कोषों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अवसर की शोभा ब़ढाई ।